

क्रमांक 3322851/16/1874

3039

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल - 462 003 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2552878, फ़ैक्स - 0755-2552406

भोपाल, दिनांक 28 /11/2016

प्रति,

सुश्री सुकृती टेकाम,
आत्मज श्री जयचंत लाल टेकसम,
वार्ड क्र.6, सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे,
डिण्डोरी - 481 880 (म.प्र.)

विषय :- जल संसाधन विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर नियुक्ति बावत् ।


प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रेषित किया गया है जिसमें उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन किया गया है । आप निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पूर्ण तैयारी के साथ दिनांक ...15/12/2016 को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे :-

1. शैक्षणिक योग्यता/निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
2. आप उक्त नियत तिथि को संलग्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
3. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय मूल प्रमाण पत्र ।

उक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता/निवास एवं जाति संबंधी दस्तावेजों को सही पाये जाने पर आपको समक्ष में नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा और आपको उसी दिन उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सेवा में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रशिक्षण में भाग लेने की तैयारी के साथ उपस्थित होंगे ।

चरित्र सत्यापन का प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसको पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । उक्त पत्र सहपत्रों सहित म.प्र. जल संसाधन विभाग की वेबसाइट www.mpwr.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ.क्र. 3322851/16/1875

3040 3040

भोपाल दिनांक 28 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि : वेब मेनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएँ, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रविष्ट करने हेतु

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(एम.जी. चौबे)
प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :-

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी
- (दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ।
- (तीन) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / अधिकारी ।
- (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो ।
- (पाँच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख ।
- (छः) खण्ड विकास अधिकारी ।
- (सात) पोस्ट मास्टर ।
- (आठ) पंचायत निरीक्षक ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति श्री को पिछले वर्ष
माह से जानता हूँ तथा इद्वारा दिये गये ब्योरे मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है।

स्थान :

तारीख :-

हस्ताक्षर

पद का नाम

तथा पता

कार्यालय द्वारा भरा जावेँ

1. नियुक्ति अधिकारी का नाम, पद नाम
और पूरा पता
2. पद जिसके लिये उम्मीदवार के
संबंध में विचार किया जा रहा है।

शपथ पत्र रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर किया जाना है।

// शपथ पत्र //

मैं.....आत्मज.....आयु.....

निवासी.....जाति.....निम्नानुसार शपथपूर्वक

यह कथन करता हूँ कि :-

1. मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में अथवा तत्समान संस्था में दर्ज नहीं है। यदि है तो विवरण संलग्न है।
2. किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में मुझे किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है। यदि किया गया है, तो दण्डादेश संलग्न है।
3. मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।
4. मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है तथा सत्य है।
5. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण संज्ञान में दी गयी है। मैं इस बाबत भी सहमति व्यक्त करता हूँ कि यदि चरित्र सत्यापन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है, तो मेरी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

शपथ कर्ता का नाम.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

साक्षी -

स.क. नाम

पता

हस्ताक्षर

(1)

(2)

परिशिष्ट-एक

[देखिए पैरा ३ (क)]

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानो जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा.

२. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है, या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे निर्दोषित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो बीरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अथवा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है; अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे बीरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (खात्मा), वापस ले लिए गए हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो.

३. यदि वह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या वह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

१. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) कुलनाम (सरनेम) नाम
तथा उपनाम, यदि कोई हो
(यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)

२. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, धाना तथा जिला, या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

३. (क) घर का पूरा पता (क)
(अर्थात् ग्राम, धाना, तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख.

(ख)

४. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के बारे में, जहाँ आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के बारे में दिए जाने चाहिए जहाँ आप एक वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से

तक

निवास का पूरा पता
(अर्थात् ग्राम, थाना
तथा जिला, अथवा घर
क्रमांक गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर)

पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित
स्थान के जिला-मुख्यालय का
तथा वह राज्य, जिसमें
वह स्थित हो.

(१)

(२)

(३)

(४)

पिता का

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो

(क)

(ख) वर्तमान डाक-पता
(यदि स्वर्णवास हो गया हो तो पिछला
पता दीजिए)

(ख)

(ग) घर का स्थायी पता

(ग)

(घ) व्यवसाय

(घ)

(ङ) यदि किसी सेवा में हों तो
उनका पदनाम तथा कार्यालय
का पता दीजिये.

(ङ)

६. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रियता ...
- (क) पिता ... (क)
- (ख) माता ... (ख)
- (ग) पति/पत्नि ... (ग)
- (घ) उम्मीदवार ... (घ)
- (दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान ... (दो)

७. (क) जन्म तारीख ... (क)
- (ख) वर्तमान आयु ... (ख)
- (ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु ... (ग)

८. (क) जन्मस्थान, जिला तथा राज्य ... (क)
जिसमें वह स्थित हो.
- (ख) वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप ... (ख)
निवासी हैं.

९. (क) आपका धर्म ... (क)
- (ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित ... (ख)
आदिम जाति के सदस्य हैं? हाँ या
नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका
उत्तर हाँ में हो तो उस जाति विशेष
का नाम लिखिए.

१०. शैक्षणिक अर्हताएं :-
वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए
जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में
१५ वर्ष की आयु से अध्ययन किया है.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता (१)	प्रवेश की तारीख (२)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (३)	उत्तीर्ण परीक्षा (४)
---	------------------------	---	-------------------------

११. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी अरि दीजिए—

दायित्व पद का नाम या कार्य का स्वल्प (१)	अवधि स तक (२)	कार्यालय, कर्म अथवा संस्था का पूरा पता (३)	निचली होना छोड़ने के कारण (४)
---	---------------------	---	----------------------------------

१२. (क) क्या आप कभी निरस्तार भिन्न हुए हैं, क्या आप पर कभी अस्वीकरण चलाया गया है, क्या आप कभी निरस्तार किए गए हैं या आपको मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संघर्षित परीक्षाओं/किए जाने वाले चरणों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विधायिकालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है।

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दीर्घनिष्ठ तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लम्बित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त, अहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएँगे :-

- (एक) अवरोध/आरोप.
 (दो) पुलिस घाने में पंजीकित.
 (तीन) यदि न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.
 (चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.
 (पांच) दिया गया दंड.
 (छह) क्या दोषमुक्त कर दिया गया?
 (सात) दोषमुक्त संदेह के लाग पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था।

टिप्पणी.—अन्यथा इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख स्थान

१३. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या (१)
 दो निदेशियों (रिफरियों) के नाम, जो आपको (२)
 जानते हों।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए, मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सज्जत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो निरस्त प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख स्थान